(5)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2004/पौष 18, 1925

No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2004/PAUSA 18, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जनवरी, 2004

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अधीन उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के शासी बोर्ड के अधिक्रमण की कालावधि को बढ़ाते हुए आदेश

फा. सं. भाप्रविबो/विधि/272/04.—तारीख 9 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. 789(अ) द्वारा उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के शासी बोर्ड के अधिक्रमण को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया गया था और श्री एम.एन. सभरवाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) शासी बोर्ड की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने और पालन करने के लिए प्रशासक के तौर पर बने रहे। कथित अधिसूचना के अनुसार अधिक्रमण की अवधि 11 जनवरी, 2004 को समाप्त हो रही है।

प्रशासक ने एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में विभिन्न सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं। तथापि, उपायों में कुछ पर अविरत अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित होगी, आगे विनिधानकर्ताओं के हित में एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए और नए शासी बोर्ड के निर्वाचन तथा गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय, और अपरस्परीकरण (डीम्युचुअलाइजेशन) और निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइज़ेशन) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी, शासी बोर्ड के अधिक्रमण की कालावधि को एतद्द्वारा छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाता है।

पूर्वोक्त कारणों से, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी तारीख 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 573 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(3) के अधीन भी मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के शासी बोर्ड के अधिक्रमण को एतद्द्वारा 12 जनवरी, 2004 से छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाता है। श्री एम.एन. सभरवाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) बढ़ाई गयी कालावधि के लिए शासी बोर्ड की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने और पालन करने के लिए प्रशासक के तौर पर कार्य करते रहेंगे।

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69/जैड बी/2003/असा.]

74 GI/2004

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2004

Order under Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 Extending the Period of Supersession of the Governing Board of the Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited.

F. No. SEBI/LE/272/04.—Vide notification No. 789(E), dated July 9, 2003 the supersession of the Governing Board of the Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited was extended by the Securities and Exchange Board of India for a further period of six months and Shri M.N. Sabharwal, IPS (Retd.) continued as an Administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Governing Board. The term of supersession vide notification cited is ending on January 11, 2004.

The Administrator has initiated various corrective measures in the functioning of the Exchange. However, some of the measures would require sustained follow up action, to further improve the functioning of the Exchange in the interest of investors and time required to complete the process of election and constitution of the new Governing Board and also to complete the process of Demutualisation and Corporatisation, the period of supersession of the Governing Board is hereby extended for a further period of six months.

For the aforesaid reasons, in exercise of the powers conferred upon me under section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with the Notification No. S.O. 573 dated July 30, 1992 issued by Central Government and also Section 4(3) of Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the supersession of the Governing Board of the U.P. Stock Exchange Association Limited is hereby extended for a further period of six months with effect from January 12, 2004. Shri M.N. Sabharwal, IPS (Retd.) shall continue to act as the Administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Governing Board for the extended period.

G. N. BAJPAI, Chairman

[ADVT. III/IV/69ZB/2003/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.